

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।

कार्यालय उप वन संरक्षक, अम्बाला वन मण्डल, अम्बाला शहर ।

फॉरेस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916

क्रमांक: 5101

दिनांक: 29/01/19

सेवा में,

Superintending Engineer,
Municipal Corporation, Ambala.

विषय:

Diversion of 0.0231 Ha. of Forest land Laying of Water supply pipe line along NH-1(New-NH-44) at km 196.230 to 196.180(RHS) and From Km. 196.180 to km 196.075(LHS) for MC Ambala Cantt in Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफओसीओएओ व कैम्पा) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला पत्र क्रमांक प्रशा-डी0-3-8672/3803 दिनांक 28.01.2019 द्वारा सैधातिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालना में विवरण अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website <http://parivesh.nic.in> पर ओनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
1	Compensatory Afforestation	82034.00
2	Additional Compensatory Afforestation	111864.00
3	Penal Compensatory Afforestation	0.00
4	Catchment Area Treatment	0.00
5	Safety Zone	0.00
6	Additional Charges for protected area	0.00
7	Net Present Value (NPV)	20490.00
8	Any other Charges (Soil & Moisture Conservation)	24610.00
a)	Felling Charges	2244.00
b)	Plantation Damage Charges	0.00
c)	Other Charges 1 (if any)	0.00
	Other Charges 2 (if any)	0.00
	Other Charges 3 (if any)	0.00
Total		241241.00

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय को FRA Certificate उपलब्ध कराए।


उप वन संरक्षक,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला ।